

कार्यालय :- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोधपुर जिला

क्रमांक : 2026 / 32

दिनांक : 06.06.2026

:: संशोधित कार्यालय आदेश ::

मैं **महेन्द्र कुमार टॉक**, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोधपुर जिला भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 13(2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक 2026/31 दिनांक 03.06.2026 में प्रशासनिक कारणों से आंशिक संशोधन करते हुए जोधपुर जिला मुख्यालय, ओसियां, बालेसर, बिलाड़ा, पीपाड़ा शहर, भोपालगढ़ न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने वाले आवश्यक आपराधिक प्रकरणों यथा रिमाण्ड, जमानत, मृत्युकालीन कथन, मृत्यु समीक्षा एवं अन्य आवश्यक कार्य तथा प्रोटोकॉल आदि के लिए दिनांक 07/06/2026, 14/06/2026 के राजकीय अवकाशों में पूर्व अधिकृत न्यायिक अधिकारियों के स्थान पर निम्नानुसार कॉलम संख्या 2 में वर्णित न्यायिक अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय अवकाश की तिथि को उपरोक्तानुसार कार्य हेतु अधिकृत करता हूँ:-

क्र. स.	अधिकृत न्यायिक अधिकारी का नाम व पदनाम	रिमाण्ड ड्यूटी की दिनांक
1	श्री गौरव चालिया न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोधपुर जिला	07 / 06 / 2026
2	श्री लोकेश परिहार न्यायिक मजिस्ट्रेट, भोपालगढ़	14 / 06 / 2026

उक्त संशोधन के अतिरिक्त इस कार्यालय का पूर्वदेश (क्रमांक 2026/31 दिनांक 03.06.2026) यथावत रहेगा।

Digitally signed
by MAHENDRA
KUMAR
TAK
Date: 2026.06.06
11:20:46 +05'30'
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जोधपुर जिला

क्रमांक : 246

दिनांक : 6-6-26

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, जोधपुर जिला।
2. श्रीमान् विशिष्ट न्यायाधीश महोदय, पोक्सो न्यायालय, जोधपुर जिला।
3. श्रीमान् अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, जोधपुर जिला / बिलाड़ा / बालेसर।
4. श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिलाड़ा / पीपाड़ा शहर / बालेसर / ओसियां।
5. श्रीमान् न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोधपुर जिला / बालेसर / पीपाड़ाशहर / भोपालगढ़ / बिलाड़ा।
6. श्रीमान् न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, ओसियां।
7. श्रीमान् जिला पुलिस अधीक्षक, जोधपुर ग्रामीण को प्रेषित कर लेख है कि सभी थानाधिकारियों को सूचित करावें।
8. जिला आबकारी अधिकारी, जोधपुर को प्रेषित कर लेख है कि अपने अधीन कार्यरत वृत्त निरीक्षक / प्रहराधिकारी / भारसाधक अधिकारी, आबकारी थाना को सूचित करावें।
9. उपनिदेशक, अभियोजन, जोधपुर।
- ✓ 10. सिस्टम अधिकारी, कम्प्यूटर सेल, जिला न्यायालय, जोधपुर जिला को प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश को जिला न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करें।
11. कार्यालय प्रति।

Digitally signed
by MAHENDRA
KUMAR
TAK
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जोधपुर जिला